>

Title: Need to increase civilian area in Jabalpur cantonment in proportion to increased population and rationalize the taxes imposed in cantonment area, Jabalpur, Madhya Pradesh.

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र जबलपुर में ब्रिटिश काल से ही रक्षा उत्पादन की पांच बड़ी इकाइयां तथा सेना का बड़ा मुख्यालय होने के कारण कैन्टोमेंट बोर्ड है जिसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में बड़ी आबादी निवास करती है। पिछले वर्षों में आबादी बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। उसी के अनुपात में स्थानीय समस्याएं भी बढ़ी हैं। लेकिन कैंट क्षेत्र में सिविल एरिया नहीं बढ़ाया गया है। कैन्टोमेंट एक्ट में प्रावधान है कि हर उस साल में बढ़ती आबादी के साथ ही सिविल एरिया की समीक्षा व विस्तार पर विचार किया जाए। किंतु यहां ऐसी कोई समीक्षा या विचार नहीं किया गया है। जिसका दुष्परिणाम यहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश सरकार की अनेकों जनहित और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ कैंट क्षेत्र के निवासियों को नहीं मिल पा रहा है। कैन्टोमेंट एक्ट 2006 के एक्ट के अनुसार मात्र कुछ केन्द्रीय योजनाओं का लाभ ही यहां के निवासियों को मिल पा रहा है। इसी क्षेत्र में मध्य प्रदेश शासन की 324 एकड़ भूमि है जो सेना के अधिकार में होने के कारण स्थानीय निवासियों के लिए अत्यंत कष्टदायक है। अतः आवश्यक यह है कि इस एक्ट में संशोधन कर कई पीढ़ियों से यहां रह रहे लोगों को राहत पहुंचाने हेतु ठोस कदम उठाए जाए। साथ ही आवश्यक रूप से सिविल एरिया का विस्तार करते हुए कैंट क्षेत्र में करारोपण को युक्तिसंगत बनाने छावनी क्षेत्र के स्थानीय जन-प्रतिनिधियों को अधिकार संपन्न बनाया जाए ताकि इस क्षेत्र की आम जनता को प्रतिदिन की कठिनाइयों से मुक्ति मिल सके। मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इस दिशा में सरकार तत्काल कार्यवाही कर आवश्यक निर्देश जारी करे।